रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72





भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

सं० 326] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 1979/ कार्तिक 2, 1901

No. 326] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 1979/KARTIKA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1979

आयकर

सा० का० नि० 584(अ) :—भारत सरकार और फिनलैंड सरकार, नीचे के उपाबन्ध में यथा उपवर्णित विनियम पत्रों (लेटर आफ एक्सचेंज) के माध्यम से उस करार के अनुच्छेद VI के पैरा (4) का लोप करने के लिए सहमत हो गई हैं, जो आय पर दोहरे कराधान से बचने के बारे में भारत सरकार और फिनलैंड सरकार के बीच हुआ है और जिस पर उन दोनों ने 23 जून, 1961 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त विनियम पत्रों के उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

उपाबन्ध

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

महामान्या,

भारत सरकार तथा फिनलैण्ड सरकार के बीच, आय पर दोहरे कराधान के निवारण के सम्बन्ध में जिस करार पर 23 जून, 1961 को दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे उस का उल्लेख करते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ और उस करार के अनुच्छेद VI के पैराग्राफ (4) को हटाने के बारे में भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव करता हूँ जिसका पाठ इस प्रकार है :—

"भारत के मामले में, इस अनुच्छेद से, जहाजरानी अथवा ट्रैम्प स्टीमरों से यदा-कदा प्राप्त होने वाले लोगों के कर-निर्धारण के संबंध में भारत के आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 44-ए तथा 44-बी के उपबन्ध प्रभावित नहीं होंगे । जब कभी जहाज रानी अथवा स्टीमरों के मामले में, भारत के आयकर अधिनियम, 1922 की

धारा 44-सी के अंतर्गत कोई समायोजन किया जाना होगा तब पैराग्राफ (2) की व्यवस्था लागू होगी।"

यदि आपकी सरकार को उल्लिखित प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो यह पत्र तथा फिनलैण्ड सरकार की तरफ से आप माहमान्या की स्वीकृति का पत्र उक्त करार में संशोधन माने जायेंगे और यथा-संशोधित यह करार अप्रैल, 1976 के पहले दिन से अथवा उसके बाद से शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में लागू होगा।

महामान्या, कृपया मेरी परम आदर भावना का आश्वासन स्वीकार करें।

जी० रामचन्द्रन, सचिव।

महामान्या मिस रीटा ओरो, भारत में
फिनलैण्ड की राजदूत, नई दिल्ली।

फिनलैण्ड दूतावास

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

महोदय,

फिनलैण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच, आय पर दोहरे कराधान के निवारण के सम्बन्ध में जिस करार पर 23 जून, 1961 को दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे, उस का और उस करार के अनुच्छेद VI के पैराग्राफ (4) को हटाने के बारे में भारत सरकार के उस प्रस्ताव का भी उल्लेख करते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रही हूँ जिसका पाठ इस प्रकार है :—]

"भारत के मामले में, इस अनुच्छेद से, जहाजरानी अथवा ट्रैम्प स्टीमरों से यदाकदा प्राप्त होने वाले लाभों के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भारत के आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 44-ए तथा 44-बी के उपबन्ध प्रभावित नहीं होंगे। जब कभी जहाजरानी अथवा ट्रैम्प स्टीमरों के मामले में, भारत के आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 44-सी के अंतर्गत कोई समायोजन किया जाना होगा तब पैराग्राफ (2) की व्यवस्था लागू होगी।"

मैं आपको सूचित करती हूँ कि फिनलैण्ड सरकार ऊपर निर्दिष्ट दोहरे कराधान निवारण सम्बन्धी करार की संगत व्यवस्था में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करती है। यथा संशोधित यह करार अप्रैल, 1976 के प्रथम दिन से अथवा उसके बाद से शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

महोदय, कृपया मेरी परम आदर भावना का आश्वासन स्वीकार करें।

रीटा ओरो, फिनलैण्ड
राजदूत

श्री जी० रामचन्द्रन,
वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार नई दिल्ली
(फा० सं० 505/2/76-वि० कर प्रभाग)

जे० सी० कालरा, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 1979

INCOME-TAX

G.S.R. 584(E).—Whereas the Government of India and the Government of Finland have through Letters of Exchange as set out in the Annexure below, agreed to delete paragraph (4) of Article VI of the Agreement between the Government of India and the Government of Finland concerning the Avoidance of Double Taxation of Income signed at New Delhi on the 23rd June, 1961 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Letters of Exchange shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of India and the Government of Finland concerning the Avoidance of Double Taxation of Income signed at New Delhi on the 23rd June, 1961, and to propose on behalf of the Government of India the deletion of paragraph (4) of Article VI thereof which reads as follows :

"This Article shall not, in the case of India affect the provisions of Sections 44A and 44B of the Indian Income-tax Act, 1922 relating to the assessment of profits from occasional shipping or tramp steamers. When an adjustment is to be made under Section 44C of the Indian Income-tax Act, 1922 in the case of occasional shipping or tramp steamers, the provisions of paragraph (2) will apply."

If the foregoing is acceptable to your Government, this note and your Excellency's note of acceptance on behalf of the Government of Finland will constitute an amendment to the said Agreement and the Agreement as amended shall be applicable in respect of any assessment year commencing on or after the first day of April, 1976.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sd./-
G. RAMACHANDRAN, Secy.

Her Excellency Miss Riitta Oro
Ambassador of Finland in India,
New Delhi.

Embassy of Finland

New Delhi, the 16th August, 1979

Sir,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of Finland and the Government of India concerning the Avoidance of Double Taxation of Income signed at New Delhi on 23rd June, 1961, and the proposal of the Government of India to delete paragraph (4) of Article VI thereof, which reads as follows :—

"This Article shall not, in the case of India affect the provisions of Sections 44A and 44B of the Indian Income-tax Act, 1922, relating to the assessment of profits from occasional shipping or tramp steamers. When an adjustment is to be made under Section 44C of the Indian Income-tax Act, 1922, in the case of occasional shipping or tramp steamers, the provisions of paragraph (2) will apply".

I am pleased to inform you that the Government of Finland accepts the proposed amendment of the relevant provisions in the DTA Agreement as given above. The Agreement as amended shall be applicable in respect of any assessment year commencing on or after the first day of April, 1976.

Accept, Sir, the assurances of my high consideration.

Sd./-
RIITTA ORO,
Ambassador of Finland

Mr. G. Ramachandran,
Finance Secretary
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

[F. No. 505/2/76-FTD]
J. C. KALRA Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979